डिसएबिलिटी रॉयल कमीशन पर ऑस्ट्रेलियाई सरकार की प्रतिक्रिया का सारांश

Hindi | हिंदी

जुलाई 2024

**कॉपीराइट सूचना**



यह दस्तावेज़*, डिसएबिलिटी रॉयल कमीशन पर ऑस्ट्रेलियाई सरकार की प्रतिक्रिया,* [क्रिएटिव कॉमन्स एट्रिब्यूशन 4.0 इंटरनेशनल लाइसेंस](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode) के तहत लाइसेंस प्राप्त है

लाइसेंस URL: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>

कृपया श्रेय दें: © कॉमनवेल्थ ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया ([डिपार्टमेंट ऑफ़ सोशल सर्विसेज](https://www.dss.gov.au/)) 2024

**सूचना:**

* यदि आप इस दस्तावेज़ का यौगिक बनाते हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ़ सोशल सर्विसेज अनुरोध करता है कि आपके यौगिक पर निम्नलिखित नोटिस रखा जाए: कॉमनवेल्थ ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया (डिपार्टमेंट ऑफ़ सोशल सर्विसेज) डेटा के आधार पर।
* इस लाइसेंस या इस दस्तावेज़ के किसी अन्य उपयोग के बारे में पूछताछ का स्वागत है। कृपया संपर्क करें: ब्रांच मैनेजर , कम्युनिकेशन सर्विसेज ब्रांच , डिपार्टमेंट ऑफ़ सोशल सर्विसेज। फोन: 1300 653 227. ईमेल: [communication@dss.gov.au](mailto:communication@dss.gov.au)

**इस प्रकाशन में अन्य सामग्री या अधिकारों की पहचान करने की सूचना:**

* ऑस्ट्रेलियाई कॉमनवेल्थ कोट ऑफ आर्म्स - क्रिएटिव कॉमन्स के तहत लाइसेंस प्राप्त नहीं, <https://www.pmc.gov.au/honours-and-symbols/commonwealth-coat-arms> देखें
* कुछ चित्र और तस्वीरें (जैसा निशान लगाकर दर्शाया गया है) - क्रिएटिव कॉमन्स के तहत लाइसेंस प्राप्त नहीं है।

विषय-सूची

[सहायक सेवाएँ 1](#_Toc172813536)

[प्रस्तावना 3](#_Toc172813537)

[प्रतिक्रिया स्नैपशॉट 5](#_Toc172813538)

[ऑस्ट्रेलियाई सरकार की प्रतिक्रिया को सूचित करने के लिए परामर्श और जुड़ाव 7](#_Toc172813539)

[विकलांगता सुधार (Disability Reform) पर ऑस्ट्रेलियाई सरकार का नीति वक्तव्य 9](#_Toc172813540)

[निवेश और कार्रवाई का अवलोकन 11](#_Toc172813541)

[सिफारिशों के जवाब में पोज़ीशन (पद) 18](#_Toc172813542)

देश की अभिस्वीकृति

ऑस्ट्रेलियाई सरकार पूरे ऑस्ट्रेलिया में देश के पारंपरिक मालिकों को स्वीकार करती है, जिस पर हम इकट्ठा होते हैं, रहते हैं और काम करते हैं। हम सभी पारंपरिक संरक्षकों, उनके अतीत, वर्तमान और उभरते हुए बुजुर्गों (अग्रणियों) का आभार प्रकट करते हैं, और हम उनकी संस्कृति, समुदाय, भूमि, समुद्र और पानी के साथ उनके निरंतर संबंध के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं।

सामग्री संबंधी चेतावनी

इस प्रकाशन में हिंसा, दुर्व्यवहार, उपेक्षा और शोषण के बारे में जानकारी है जो पाठकों को परेशान कर सकती है।

## सहायक सेवाएँ

**नेशनल डिसेबिलिटी एब्यूज एंड नेग्लेक्ट हॉटलाइन : 1800 880 052**

नेशनल डिसेबिलिटी एब्यूज एंड नेग्लेक्ट हॉटलाइन विकलांगता वाले लोगों के साथ दुर्व्यवहारऔर उपेक्षा की रिपोर्ट करने के लिए एक निःशुल्क, स्वतंत्र और गोपनीय सेवा है। हॉटलाइन कॉल करने वालों के साथ रेफ़रल, जानकारी और सहयोग के माध्यम से दुर्व्यवहार या उपेक्षा की रिपोर्ट से निपटने के उचित तरीके ढूँढने के लिए काम करती है।

**1800RESPECT: कॉल 1800 737 732, टेक्स्ट 0458 737 732**

1800 RESPECT घरेलू, पारिवारिक और यौन हिंसा से प्रभावित किसी भी व्यक्ति के लिए ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय परामर्श, सूचना और सहायता सेवा है। यह दिन के 24 घंटे, सप्ताह के 7 दिन उपलब्ध है।

**डिसेबिलिटी एडवोकेसी सपोर्ट हेल्पलाइन : 1800 643 787**

डिसेबिलिटी एडवोकेसी सपोर्ट हेल्पलाइन (हेल्पलाइन) *ऑस्ट्रेलिया की विकलांगता कार्यनीति 2021-2031* के हिस्से के रूप में घोषित एक पायलट पहल है, जिसे व्यक्तिगत पक्षसमर्थन सहायता तक पहुंच पाने में सुधार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हेल्पलाइन एक फोन-आधारित सेवा है जिसे एडवोकेसी लॉ एलायंस द्वारा प्रदान किया जाता है और डिसेबिलिटी गेटवे के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। हेल्पलाइन उन विकलांग लोगों, उनके परिवारों और देखभाल करने वालों के लिए एक मुफ्त सेवा है, जिन्हें अल्पकालिक व्यक्तिगत विकलांगता पक्षसमर्थन सहयोग की आवश्यकता होती है।

**डिसेबिलिटी एडवोकेसी फाइंडर:**

नेशनल डिसेबिलिटी एडवोकेसी प्रोग्राम विकलांगता वाले लोगों को प्रभावी पक्षसमर्थन सहायता तक पहुंच प्रदान करता है। सामाजिक सेवाएँ विभाग (Department of Social Services) विकलांग लोगों के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया भर में 59 पक्षसमर्थन संगठनों को फंड्स देता है। सेवाओं को डिसेबिलिटी एडवोकेसी फाइंडर के माध्यम से आस्क इज़ी (Ask Izzy) वेबसाइट पर देखा जा सकता है: [https://askizzy.org.au/disability-advocacy-finder](http://www.askizzy.org.au/disability/advocacy-finder).

**लाइफलाइन क्राइसिस सपोर्ट: कॉल 13 11 14, टेक्स्ट 0477 13 11 14**

लाइफलाइन एक राष्ट्रीय दान है जो भावनात्मक परेशानी से गुज़रने वाले सभी ऑस्ट्रेलियाई लोगों को चौबीसों (24) घंटे संकट सहायता और आत्महत्या रोकथाम सेवाओं तक पहुंच मुहैया कराता है।

**बियॉन्ड ब्लू सपोर्ट सर्विस : 1300 224 636**

बियॉन्ड ब्लू एक ऐसा संगठन है जो अवसाद, चिंता या अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्या वाले लोगों के लिए एक मुफ्त ऑनलाइन और टेलीफोन हेल्पलाइन प्रदान करता है। आप प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों से बात कर सकते हैं जो आपको सहयोग और सलाह दे सकते हैं। बियॉन्ड ब्लू आपको अपने आस-पास मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं खोजने में भी मदद कर सकता है।

## प्रस्तावना

हम रॉयल कमीशन को हिंसा, दुर्व्यवहार, उपेक्षा और विकलांगता वाले लोगों के शोषण (डिसेबिलिटी रॉयल कमीशन) में ऑस्ट्रेलियाई सरकार की प्रतिक्रिया का सारांश प्रस्तुत करने में ख़ुशी अनुभव कर रहे हैं। आप [www.dss.gov.au/DRC-Aus-Gov-Response](http://www.dss.gov.au/DRC-Aus-Gov-Response) पर पूरी प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं।

डिसेबिलिटी रॉयल कमीशन विकलांग लोगों के अनुभवों पर ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी जांच थी। इसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि विकलांग लोगों को बिना विकलांगता वाले लोगों की तुलना में काफी अधिक नुकसान, बहिष्कार और भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

**एक राष्ट्र के रूप में हमें बेहतर करना होगा। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना होगा कि सभी ऑस्ट्रेलियाई विकलांगता, लिंग, आयु, जाति, संस्कृति, धर्म या यौन अभिविन्यास की परवाह किए बिना समाज के समान सदस्यों के रूप में भाग ले सकें।**

डिसेबिलिटी रॉयल कमीशन की फाइनल रिपोर्ट में 222 सिफारिशें शामिल हैं और यह एक समावेशी ऑस्ट्रेलिया के लिए एक दृष्टिकोण निर्धारित करती है जहां विकलांगता ग्रस्त लोग बिना किसी नुकसान के रहते हैं; जहां मानव अधिकारों की रक्षा की जाती है; और जहां व्यक्ति गरिमा, समानता और सम्मान के साथ रहते हैं, जोखिम उठा सकते हैं, और अपनी क्षमता को विकसित और पूरा कर सकते हैं। **ऑस्ट्रेलियाई सरकार इस दृष्टिकोण का समर्थन करती है।**

ऑस्ट्रेलियाई सरकार के पास 172 सिफारिशों के लिए प्राथमिक या साझा जिम्मेदारी है। इस प्रारंभिक प्रतिक्रिया में हम:

* 130 सिफारिशों को स्वीकार करते हैं या सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करते हैं,
* आगे 36 सिफारिशों पर विचार कर रहे हैं, तथा
* 6 सिफारिशों को नोट करते हैं।

ऐसी कई सिफारिशें हैं जो चल रही या हाल ही में संपन्न पूछताछ या समझौता-वार्ताओं से संबंधित हैं जिनपर विकलांग लोगों, राज्य और राज्य-क्षेत्र सरकारों और अन्य हितधारकों के परामर्श से आगे विचार करने की आवश्यकता है। जैसे-जैसे यह कार्य पूरा होता जाएगा, हम शेष सिफारिशों पर प्रतिक्रियाएँ प्रकाशित करना जारी रखेंगे।

**हम लगभग 10,000 विकलांग लोगों**, उनके परिवारों, दोस्तों, प्रतिनिधियों और देखभालकर्ताओं को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने रॉयल कमीशन के साथ अपने अनुभव और विचार साझा किए। हम आयुक्तों और रॉयल कमीशन के कर्मचारियों को उनके महत्वपूर्ण कार्य के लिए धन्यवाद देते हैं, तथा उन सभी को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने प्रतिक्रियाओं और सुधारों के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार की परामर्श और सहभागिता प्रक्रिया में योगदान दिया। इन योगदानों ने पहले ही अंतर पैदा कर दिया है और ये योगदान सुरक्षित, समावेशी और सुलभ ऑस्ट्रेलिया की दिशा में राष्ट्रीय परिवर्तन को सूचित करते रहेंगे।

**हमने उन बातों पर ध्यान दिया है जो विकलांग लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं और सुधार और कार्यान्वयन गतिविधियों के पहले चरण पर ध्यान केंद्रित करेंगे:**

* **सुरक्षा:** प्रतिबंधात्मक प्रथाओं को कम करने और समाप्त करने के लिए लक्ष्य विकसित करना; गुणवत्ता और सुरक्षा व्यवस्था को एकीकृत करना; यह सुनिश्चित करना कि विकलांग लोगों के पास सुरक्षा तंत्र के रूप में लगातार सामुदायिक आगंतुक योजनाओं तक पहुंच हो; विकलांगता के साथ महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा में सुधार; और राष्ट्रीय विकलांगता दुरुपयोग और उपेक्षा हॉटलाइन जारी रखना।
* **अधिकार और भेदभाव-विरोधी**: विकलांगता वाले लोगों को उनके अधिकारों की रक्षा और बचाव के लिए बेहतर समर्थन देने के लिए एक नया विकलांगता पक्षसमर्थन कार्यक्रम स्थापित करना; *विकलांगता भेदभाव अधिनियम 1992* की समीक्षा और आधुनिकीकरण शुरू करना; विकलांग बच्चों के लिए निष्पक्ष और अधिक समावेशी होने के लिए प्रवासन संबंधी स्वास्थ्य आवश्यकता में संशोधन करना; और ऑस्ट्रेलिया के मानवाधिकार ढांचे में मानव अधिकारों की जांच पर संसदीय संयुक्त समिति की अंतिम रिपोर्ट के साथ रॉयल कमीशन की अनुशंसित विकलांगता अधिकार अधिनियम पर विचार करना।
* **समावेश और पहुंच:** ऑस्ट्रेलिया की *विकलांगता रणनीति 2021-2031* की समीक्षा करना; सुलभ सूचना और संचार के लिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण में सुधार करना, जिसमें औस्लान भी शामिल है; प्रथम राष्ट्र विकलांगता मंच या अन्य उपयुक्त साझा निर्णय लेने वाले तंत्र पर परामर्श करना; बौद्धिक विकलांगता वाले लोगों के लिए प्राथमिक देखभाल संवर्धन कार्यक्रम जारी रखना; विकलांगता वाले छात्रों के परिणामों में सुधार के लिए राज्य और राज्य-क्षेत्र सरकारों के साथ काम करना; और कलंक को तोड़ने और विकलांगता वाले लोगों के प्रति सामुदायिक दृष्टिकोण में सुधार करने के लिए जमीनी स्तर पर प्रयासों का समर्थन करना।
* **रोजगार**: विकलांगता वाले अधिक लोगों को उपयुक्त रोजगार तैयार करने, खोजने और बनाए रखने में मदद करने के लिए एक नया विशेषज्ञ विकलांगता रोजगार कार्यक्रम लागू करना; उच्च गुणवत्ता और प्रभावी सेवाएं प्रदान करने के लिए रोजगार सेवा प्रदाताओं की क्षमता का निर्माण करने के लिए उत्कृष्टता के लिए एक विकलांगता रोजगार केंद्र की स्थापना करना; और समर्थित रोजगार क्षेत्र को विकसित करने के लिए विकलांग लोगों, उनके परिवारों, प्रतिनिधियों, अधिवक्ताओं और सेवा प्रदाताओं के साथ काम करना जारी रखना।

यह [डिसेबिलिटी रॉयल कमीशन पर ऑस्ट्रेलियाई सरकार के प्रगति अपडेट](https://www.dss.gov.au/disability-and-carers-disability-royal-commission-taskforce/australian-government-progress-update-on-the-disability-royal-commission-0) में पहचाने गए हमारे मौजूदा कार्य और राष्ट्रीय विकलांगता बीमा योजना (एनडीआईएस) को पटरी पर लाने, अतिरिक्त मूलभूत समर्थन स्थापित करने, *ऑस्ट्रेलिया की विकलांगता रणनीति 2021-2031* के तहत परिणामों में सुधार करने, मुख्यधारा के परिवेशों में विकलांगता वाले लोगों के लिए समावेश और पहुंच के दृष्टिकोण को बढ़ाने और राष्ट्रीय विकलांगता डेटा एसेट और राष्ट्रीय विकलांगता अनुसंधान भागीदारी के माध्यम से डेटा और अनुसंधान में सुधार करने के लिए निवेश पर आधारित है।

हम समावेशी ऑस्ट्रेलिया के लिए अपने साझा दृष्टिकोण को मूर्त रूप देने के लिए सार्थक परिवर्तन को लागू करने हेतु विकलांग समुदाय के साथ साझेदारी में काम करना जारी रखने के लिए तत्पर हैं।

**माननीय अमांडा रिशवर्थ सांसद (The Hon Amanda Rishworth MP)**

सामाजिक सेवाएँ मंत्री (Minister for Social Services)

## प्रतिक्रिया स्नैपशॉट

ऑस्ट्रेलियाई सरकार:

* की **172 सिफारिशों** के लिए प्राथमिक या साझा जिम्मेदारी है
* **130 सिफारिशों** को स्वीकार या सैद्धांतिक रूप में स्वीकार करती है
* आगे **36 सिफारिशों**पर विचार कर रही है; और
* **6 सिफारिशें** को नोट करती है।

विकलांग लोगों के लिए एक सुरक्षित, समावेशी और सुलभ ऑस्ट्रेलिया का समर्थन करने के लिए मौजूदा वित्त पोषण और प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाने के लिए, ऑस्ट्रेलियाई सरकार विकलांगता रॉयल आयोग के प्रति अपनी प्रतिक्रिया के पहले चरण में महत्वपूर्ण निवेश कर रही है, जिसमें शामिल हैं:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| एक नया विकलांगता पक्षसमर्थन कार्यक्रम स्थापित करने के लिए $39.7 मिलियन | विकलांगता भेदभाव अधिनियम (Disability Discrimination Act) की समीक्षा और आधुनिकीकरण के लिए $6.9 मिलियन | विकलांगता रोजगार उत्कृष्टता केंद्र (Disability Employment Centre of Excellence) स्थापित करने के लिए $23.3 मिलियन |
| प्रतिबंधात्मक प्रथाओं को कम करने और समाप्त करने के लक्ष्य विकसित करने के लिए $1.2 मिलियन | एक सुरक्षा तंत्र के रूप में सामुदायिक आगंतुक योजनाओं के लिए लगातार दृष्टिकोण के लिए $4.4 मिलियन | राष्ट्रीय विकलांगता गुणवत्ता और सुरक्षा व्यवस्था को एकजुट करने के लिए $15.6 मिलियन |
| ऑस्लान (बधिरों के लिए) सहित सुलभ सूचना और संचार के लिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण में सुधार के लिए $12.3 मिलियन | विकलांगता वाले बच्चों के लिए निष्पक्ष और अधिक समावेशी होने के लिए प्रवासन संबंधी स्वास्थ्य आवश्यकता (Migration Health Requirement) में संशोधन करने के लिए $12.1 मिलियन |
| एक नए विशेष विकलांगता रोजगार कार्यक्रम को लागू करने के लिए $227.6 मिलियन | नेशनल डिसेबिलिटी एब्यूज़ एंड नेग्लेक्ट हॉटलाइन और कम्प्लेंट्स रेसोलुशन एंड रेफरल सर्विस के निरंतर काम करने के लिए $2.6 मिलियन | विकलांग महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा में सुधार के लिए $2 मिलियन |
| बौद्धिक विकलांगता वाले लोगों के लिए प्राइमरी केयर एनहांसमेंट प्रोग्राम जारी रखने के लिए $3.7 मिलियन | विकलांगता के आसपास सामुदायिक दृष्टिकोण में सुधार के लिए जमीनी स्तर पर प्रयासों का समर्थन करने के लिए $19.6 मिलियन |

यह पिछले तीन बजटों में किए गए महत्वपूर्ण निवेश पर आधारित है, जो **और अधिक समावेशी ऑस्ट्रेलिया के निर्माण के लिए $3 बिलियन** से अधिक है। इसमें राष्ट्रीय विकलांगता बीमा योजना (एनडीआईएस) [ National Disability Insurance Scheme] को फिर से पटरी पर लाने के लिए काफी निवेश और कार्रवाई, समर्थित रोजगार क्षेत्र को विकसित करने के लिए 2023-24 के बजट में 57 मिलियन डॉलर, राष्ट्रीय विकलांगता डेटा संपत्ति के विश्लेषण, अनुसंधान और वितरण के लिए अक्टूबर 2022-23 के बजट में 68.3 मिलियन डॉलर, साथ ही एनडीआईएस के बाहर विकलांग लोगों के लिए गुणवत्ता और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए *विकलांगता सेवा और समावेशन अधिनियम 2023 (Disability Services and Inclusion Act 2023)*का अधिनियमन शामिल है।

## ऑस्ट्रेलियाई सरकार की प्रतिक्रिया को सूचित करने के लिए परामर्श और जुड़ाव

ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने, मंत्री स्तर पर और राष्ट्रमंडल विकलांगता रॉयल कमीशन टास्कफोर्स (टास्कफोर्स) [Disability Royal Commission Taskforce] के माध्यम से, विकलांगता वाले लोगों, उनके परिवारों, देखभालकर्ताओं, प्रतिनिधि संगठनों, सेवा प्रदाताओं, यूनियनों और व्यापक समुदाय के साथ परामर्श और जुड़ाव किया है ताकि विकलांगता रॉयल कमीशन की अंतिम रिपोर्ट और सिफारिशों के जवाब में सुधार पर निर्णय लेने की सूचना दी जा सके।

**हमने किसके साथ परामर्श किया**

सभी को अपनी बात रखने और विकलांगता रॉयल कमीशन की सिफारिशों के संबंध में अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया गया। इसमें शामिल हैं:

* विकलांग लोग, उनके परिवार और देखभालकर्ता,
* अधिवक्ता और प्रतिनिधि संगठन,
* विकलांगता सहायता प्रदाता, यूनियन और श्रमिक, और
* शिखर निकाय (पीक बॉडीज़), शिक्षाविद और अन्य संगठन।

ऑस्ट्रेलियाई सरकार विकलांगता प्रतिनिधि संगठनों, शिखर निकायों और अन्य संगठनों का भी आभार प्रकट करती है जिन्होंने अपने स्वयं के सदस्यता नेटवर्क के भीतर महत्वपूर्ण स्वतंत्र जुड़ाव और परामर्श किया और टास्कफोर्स को अपने विचार बताए। इन प्रयासों ने हमें समुदाय में व्यापक पहुंच बनाने, और अधिक लोगों की बात सुन पाने तथा बेहतर ढंग से यह समझ पाने में सक्षम बनाया है कि उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है।

**हमने कैसे परामर्श किया**

विकलांगता प्रतिनिधि संगठनों और शिखर निकायों के साथ प्रारंभिक जुड़ाव मौजूदा परामर्श मंचों के माध्यम से किया गया था ताकि सिफारिशों के बारे में उनके विचारों की बारीकियों को समझा जा सके और परामर्श के दृष्टिकोण पर इनपुट प्राप्त किया जा सके। टास्कफोर्स के प्रतिनिधियों ने डिसेबिलिटी रॉयल कमीशन पर सार्वजनिक प्रस्तुतियाँ, टिप्पणी और मंचों की व्यापक डेस्कटॉप निगरानी और विश्लेषण भी किया और विकलांगता रॉयल कमीशन की सिफारिशों पर उनकी प्रतिक्रिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए विकलांगता हितधारकों के साथ कई मंचों में भाग लिया। हमने ऑस्ट्रेलिया की विकलांगता सलाहकार परिषद (Australia’s Disability Advisory Council) के साथ-साथ कई परमार्शों और अंतर-न्यायिक मंचों सहित विभिन्न सलाहकार परिषदों से सुना।

सरकार ने उच्च स्तरीय गोलमेज सम्मेलनों, मंचों, कार्यशालाओं और व्यक्तिगत बैठकों के संयोजन के माध्यम से हितधारकों और समुदाय के साथ भी बातचीत की है।

डीएसएस (DSS) वेबसाइट पर डीएसएस एंगेज पेज टास्कफोर्स का प्राथमिक सार्वजनिक संपर्क तंत्र था। यह विकलांगता रॉयल कमीशन की अंतिम रिपोर्ट जारी होने के तुरंत बाद लाइव हो गया और परामर्श की अवधि के लिए सक्रिय रहा। जनता के इच्छुक सदस्यों को डीएसएस एंगेज पेज के माध्यम से अपडेट के लिए सदस्यता लेने के लिए आमंत्रित किया गया था, ताकि हितधारक परामर्श गतिविधियों पर अप टू डेट रह सकें।

सार्वजनिक परामर्श

28 नवंबर 2023 को एक ऑनलाइन प्रश्नावली और प्रस्तुति जमा करने की प्रक्रिया के माध्यम से एक सार्वजनिक परामर्श शुरू किया गया था। प्रश्नावली सभी के लिए खुली थी। उत्तरदाताओं से तीन ऐसी सिफारिशें चुनने को कहा गया जिन्हें वे सबसे महत्वपूर्ण मानते थे, तथा तीन ऐसी सिफारिशें चुनने को कहा गया जिनका वे समर्थन नहीं करते थे। और अधिक जानकारी देने के लिए ख़ाली जगह छोड़ी गई थी। उत्तरदाताओं को परामर्श के लिए एक लिखित सबमिशन प्रदान करने का विकल्प भी दिया गया था।

सार्वजनिक परामर्श 19 जनवरी 2024 को बंद हुआ। इसमें विभिन्न व्यक्तियों और संगठनों से 335 प्रश्नावली प्रतिक्रियाएं तथा 118 लिखित प्रस्तुतियां प्राप्त हुईं।

सभी प्रश्नावली प्रतिक्रियाओं और लिखित प्रस्तुतियों का विश्लेषण किया गया और प्रतिक्रियाओं के प्रमुख विषयों को रेखांकित करते हुए एक डी-आइडेंटिफाइड (पहचान-रहित) रिपोर्ट में समेकित किया गया। यह रिपोर्ट [www.engage.dss.gov.au/drcausgovresponse/public-consultation-report](http://www.engage.dss.gov.au/drcausgovresponse/public-consultation-report) पर उपलब्ध है।

**हमने जो सुना है**

सार्वजनिक परामर्श से डिसेबिलिटी रॉयल आयोग की सिफारिशों के लिए कुल मिला कर काफ़ी अधिक समर्थन दिखाई दिया। उत्तरदाताओं ने रॉयल कमीशन की सिफारिशों की क्षमता के बारे में आशावाद का संकेत दिया ताकि विकलांगता वाले लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। कई हितधारकों ने कार्यान्वयन में विकलांग लोगों को शामिल करने के लिए भी कहा। यद्यपि कई सिफारिशों को व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ, तथापि कुछ सिफारिशों पर भिन्न-भिन्न विचार मिले, विशेषकर विशेष/पृथक शिक्षा, रोजगार और आवास के संबंध में। यह स्पष्ट है कि डिसेबिलिटी रॉयल कमिश्नरों की तरह समुदाय के सदस्यों के इन परिवेशों के भविष्य पर अलग-अलग विचार हैं। सभी हितधारक इस बात से सहमत हैं कि मुख्यधारा की शिक्षा, रोजगार और आवास परिवेशों में विकलांग लोगों की बेहतर पहुंच और समावेश महत्वपूर्ण है।

**राज्य और राज्य-क्षेत्र सरकारों के साथ काम करना**

3 नवंबर 2023 को, विकलांगता सुधार मंत्रिस्तरीय परिषद (Disability Reform Ministerial Council )- जिसमें विकलांगता नीति और सेवाओं की जिम्मेदारी वाले राष्ट्रमंडल, राज्य और राज्य-क्षेत्र के मंत्री शामिल हैं - ने ऑस्ट्रेलिया को सभी विकलांग लोगों के लिए सुरक्षित और समावेशी बनाने के लिए आवश्यक सुधार की प्रगति के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करने के लिए प्रतिबद्धता दी और यह ध्यान दिया कि डिसेबिलिटी रॉयल कमीशन द्वारा उजागर किए गए मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रयास की आवश्यकता है, जिसमें सभी सरकारें और हमारे समुदाय के सभी हिस्से शामिल हैं।

डिसेबिलिटी रॉयल कमीशन के लिए संयुक्त ऑस्ट्रेलियाई, राज्य और राज्य-क्षेत्र की प्रतिक्रिया सामाजिक सेवाएँ विभाग की वेबसाइट <http://www.dss.gov.au/DRC-Joint-Response> पर उपलब्ध है। यह डिसेबिलिटी रॉयल कमीशन के जवाब में राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित परिवर्तन को लागू करने के लिए एक मजबूत सहयोगी दृष्टिकोण प्रदर्शित करती है।

## विकलांगता सुधार (Disability Reform) पर ऑस्ट्रेलियाई सरकार का नीति वक्तव्य

ऑस्ट्रेलियाई सरकार एक राष्ट्रीय प्रयास के लिए प्रतिबद्ध है और ऑस्ट्रेलिया को अधिक समावेशी, सुलभ और सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक सुधारों को लागू करने के लिए विकलांगता समुदाय के साथ साझेदारी में काम कर रही है।

डिसेबिलिटी रॉयल आयोग की पिछली रिपोर्ट में व्यापक सिफारिशें शामिल थीं। प्रतिक्रिया उन उपायों में निवेश को प्राथमिकता देती है जो बेहतर सुरक्षा प्रदान करेंगे, समावेश और पहुंच को बढ़ावा देंगे, और मानवाधिकारों को बनाए रखेंगे, और विकलांगता वाले प्रथम राष्ट्र के लोगों के विशिष्ट दृष्टिकोण और अनुभवों को पहचानेंगे। सुधार गतिविधि के कार्यक्रम का मंचन कई वर्षों में किया जाएगा और विकलांगता पारिस्थितिकी तंत्र में व्यापक सुधारों के साथ-साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास में मुख्यधारा के प्रणाली सुधारों के साथ गठबंधन किया जाएगा - क्योंकि यह विकलांगता वाले लोगों की निरंतर भागीदारी का समर्थन करता है और स्थायी परिवर्तन को सक्षम बनाता है।

समावेशी ऑस्ट्रेलिया के लिए हमारे साझा दृष्टिकोण को क्रियान्वित करने और उसे स्थापित करने के लिए सतत राष्ट्रीय प्रयास की आवश्यकता है।

निम्नलिखित **प्रमुख सिद्धांत** हैं जो विकलांगता रॉयल कमीशन के जवाब में ऑस्ट्रेलियाई सरकार के विकलांगता सुधार एजेंडे के चल रहे विकास और कार्यान्वयन को आकार देंगे और सूचित करेंगे।

ऑस्ट्रेलियाई सरकार नीति को सक्षम करने और सेवाओं को दे पाने के लिए प्रतिबद्ध है जो एक ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के डिसेबिलिटी रॉयल कमीशन द्वारा निर्धारित दृष्टि को साकार करती है जहां विकलांगता वाले लोग:

* हिंसा, दुर्व्यवहार, उपेक्षा और शोषण से मुक्त रहें,
* जहां मानव अधिकारों की रक्षा की जाती है, और
* व्यक्ति गरिमा, समानता और सम्मान के साथ रहते हैं और अपनी क्षमता को पूरा कर सकते हैं।

इसमें एक ऐसा भविष्य शामिल है जहां विकलांगता वाले और बिना विकलांगता वाले लोग:

* सुरक्षित और विविध समुदायों में एक साथ जीवन जीते हैं, सीखते हैं, काम करते हैं, खेलते हैं, निर्माण-कार्य करते हैं और सहभागिता करते हैं,
* चयन, स्वतंत्रता और जोखिम उठाने की गरिमा का अधिकार रखते हैं,
* उन समुदायों के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं जो उनकी उपस्थिति को महत्व देते हैं और उनके साथ सम्मान के साथ व्यवहार करते हैं, और
* सांस्कृतिक रूप से सुरक्षित हैं और परिवारों, समुदायों और सहकर्मी नेटवर्क से संबंधित हैं।

ऑस्ट्रेलियाई सरकार सुरक्षा उपायों, स्वतंत्र निरीक्षण और शिकायत तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है जो विकलांगता वाले लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली हिंसा, दुर्व्यवहार और उपेक्षा के अस्वीकार्य स्तरों को कम करने में मदद करेगी। कई स्थितियों में इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा और सेवा प्रणालियों को बढ़ाने के लिए राज्य और राज्य-क्षेत्र सरकारों के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता होगी।

ऑस्ट्रेलियाई सरकार विकलांग लोगों की बात सुनने और विकलांगता समुदाय के साथ साझेदारी में काम करने के लिए ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों को डिजाइन, कार्यान्वित और मूल्यांकन करने के लिए प्रतिबद्ध है जो ऑस्ट्रेलिया को विकलांगता वाले लोगों के लिए अधिक समावेशी, सुलभ और सुरक्षित बनाने के लिए सुधारों को संचालित करते हैं।

ऑस्ट्रेलियाई सरकार महिलाओं और बच्चों; प्रथम राष्ट्र के लोगों; सांस्कृतिक और भाषाई रूप से विविध पृष्ठभूमि के लोगों; LGBTIQA+ लोगों; और वृद्ध ऑस्ट्रेलियावासियों सहित विकलांग लोगों की अन्तर्सम्बन्धी और विविध आवश्यकताओं को पहचानने और उनका जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार विकलांग लोगों के मानवाधिकारों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि उन्हें गरिमा, समानता और सम्मान के साथ जीने में सक्षम बनाया जा सके।

ऑस्ट्रेलियाई सरकार सांस्कृतिक रूप से सुरक्षित, आघात-सूचित, समावेशी और सुलभ सेवाएं प्रदान करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई लोक सेवा में क्षमता उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार एक और अधिक समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है जहां विकलांग लोगों को लगता है कि वे संबंधित हैं, उनका सम्मान किया जाता है, उन्हें महत्व दिया जाता है और वे पूरी तरह से योगदान करने में सक्षम होते हैं। *ऑस्ट्रेलिया की विकलांगता नीति 2021-2031* राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यक सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रमुख राष्ट्रीय नीति तंत्र बनी हुई है।

## निवेश और कार्रवाई का अवलोकन

**सुरक्षा**

विकलांगता सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने, समुदाय में सुरक्षा उपायों को मजबूत करने, तथा हिंसा, दुर्व्यवहार, उपेक्षा और शोषण को बेहतर ढंग से रोकने के लिए कार्रवाई को प्राथमिकता देना, विकलांगता रॉयल आयोग के प्रति ऑस्ट्रेलियाई सरकार की प्रारंभिक प्रतिक्रिया का केंद्र बिंदु है।

* **क्वालिटी एंड सेफगार्डिंग फ्रेमवर्क एंड डिसेबिलिटी सपोर्ट इकोसिस्टम सेफगार्डिंग स्ट्रेटेजी**की स्थापना के लिए 15.6 मिलियन डॉलर, ताकि पूरे ऑस्ट्रेलिया में विकलांग लोगों के लिए विकलांगता गुणवत्ता एवं सुरक्षा व्यवस्था को एकीकृत किया जा सके।
* $4.4 मिलियन यह सुनिश्चित करने के लिए कि विकलांगता वाले लोगों के पास सुरक्षा तंत्र के रूप में लगातार **सामुदायिक आगंतुक योजनाओं** तक पहुंच है।
* **नेशनल डिसेबिलिटी एब्यूज एंड नेग्लेक्ट हॉटलाइन** और कम्प्लेंट्स रेसोलुशन एंड रेफरल सर्विस जारी रखने के लिए $2.6 मिलियन।
* एनडीआईएस के भीतर लक्ष्य और प्रदर्शन संकेतक स्थापित करने और राज्यों और राज्य-क्षेत्रों के साथ एक संयुक्त कार्य योजना विकसित करने के माध्यम से **प्रतिबंधात्मक प्रथाओं के उपयोग को कम करने और समाप्त करने के लिए** संपूर्ण-सरकार के दृष्टिकोण की ओर $1.2 मिलियन।
* **रिस्क प्रोफाइल मॉडल** का प्रारंभिक डिजाइन, ताकि नुकसान के जोखिम में आने वाले एनडीआईएस प्रतिभागियों की बेहतर पहचान की जा सके और व्यापक व्यक्तिगत रूप से तैयार प्रतिक्रिया कार्यनीतियों का समर्थन किया जा सके।
* ***नेशनल प्लान टू एन्ड वायलेंस अगेंस्ट वूमेन एंड चिल्ड्रन 2022-2032*** के **फर्स्ट एक्शन प्लान** में विकलांगता को ध्यान में रखकर कार्य करने के लिए 0.5 मिलियन डॉलर की राशि प्रदान की जाएगी, ताकि यह पहचाना जा सके कि कार्य योजना में प्रत्येक कार्य किस प्रकार विकलांग महिलाओं और लड़कियों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
* $0.25 मिलियन यह सुनिश्चित करने के लिए कि **पारिवारिक घरेलू और यौन हिंसा के लिए अग्रिम पंक्ति सेवाएंमार्गदर्शन सामग्री** ऑस्ट्रेलिया में विकलांगता वाली महिलाओं और लड़कियों के लिए सुलभ हैं।
* **सुरक्षित लड़कियां, सुरक्षित महिलाएँ परियोजना** का विस्तार करने के लिए 1.25 मिलियन डॉलर, ताकि विकलांगता से ग्रस्त महिलाओं, लड़कियों और लिंग विविधता वाले लोगों को सहायता दी जा सके, तथा यौन स्वास्थ्य, सम्मानजनक संबंध और सहमति शिक्षा के लिए **कार्यस्थलों के लिए सर्वोत्तम अभ्यास दिशा-निर्देशों और शिक्षण संसाधनों और उपकरणों** को लागू किया जा सके।

यह विकलांग लोगों के लिए गुणवत्ता और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मौजूदा कार्य और निवेश पर आधारित है, जिसमें शामिल हैं:

* 2024-25 के बजट के माध्यम से 160.7 मिलियन डॉलर का प्रावधान किया गया है, ताकि एनडीआईएस गुणवत्ता और सुरक्षा आयोग की विकलांगता वाले लोगों को दुर्व्यवहार, हिंसा और उपेक्षा से बचाने की क्षमता में परिवर्तन लाया जा सके, तथा **डेटा और विनियामक परिवर्तन कार्यक्रम (Data and Regulatory Transformation Program)** के माध्यम से धोखाधड़ी का पता लगाया जा सके और उसे रोका जा सके।
* **NDIS प्रतिभागियों की सुरक्षा में NDIS गुणवत्ता और सुरक्षा आयोग का समर्थन करने के लिए** 2023-24 बजट के माध्यम से $142.6 मिलियन।
* **एनडीआईएस समीक्षा अंतिम रिपोर्ट में प्रस्तावित नए स्नातक जोखिम-आनुपातिक नियामक मॉडल** के डिजाइन और कार्यान्वयन पर सलाह प्रदान करने के लिए एनडीआईएस प्रदाता और कार्यकर्ता पंजीकरण टास्कफोर्स की स्थापना।
* अप्रैल 2023 में नई राष्ट्रीय विकलांगता बीमा एजेंसी [National Disability Insurance Agency](एनडीआईए) **प्रतिभागी सुरक्षा नीति और कार्यान्वयन योजना** जारी की जाएगी।

**अधिकार और भेदभाव विरोधी**

ऑस्ट्रेलियाई सरकार अपनी जांच और सिफारिशों के लिए डिसेबिलिटी रॉयल कमीशन के अधिकार-आधारित दृष्टिकोण का स्वागत करती है और चल रहे कानून और नीति सुधार के माध्यम से विकलांगता वाले लोगों के अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, और बुनियादी कार्यक्रमों को मजबूत करती है जो विकलांगता वाले लोगों को उनके अधिकारों का बचाव और रक्षा करने में सहायता करते हैं।

* **विकलांगता भेदभाव कानून सुधार** के लिए 6.9 मिलियन डॉलर ताकि विकलांग व्यक्तियों के परामर्श से *विकलांगता भेदभाव अधिनियम (Disability Discrimination Act) 1992* की समीक्षा की जाए।
* **एक नया व्यक्तिगत विकलांगता पक्षसमर्थन कार्यक्रम** स्थापित करने के लिए अतिरिक्त धन-राशि के तौर पर $39.7 मिलियन। नया कार्यक्रम चल रहे व्यक्तिगत विकलांगता पक्षसमर्थन सहायता के एक सुव्यवस्थित और एकजुट वितरण मॉडल को स्थापित करने के लिए वर्तमान सेवाओं को एक साथ लाएगा। इससे विकलांगता से ग्रस्त उन व्यक्तियों के लिए बेहतर परिणाम सामने आएंगे, जिनको नुकसान का अधिक जोखिम है, क्योंकि इससे अपूर्ण मांग को पूरा किया जा सकेगा और सबसे कमजोर समूहों के लिए बेहतर सहायता क्षमता उपलब्ध कराई जा सकेगी। इसे राष्ट्रीय विकलांगता पक्षसमर्थन ढांचे ( National Disability Advocacy Framework) के तहत पहले से ही प्रगति कर रहे काम के साथ सूचित और संरेखित किया जाएगा।
* ऑस्ट्रेलिया में जन्मे और वहां रहने वाले विकलांग बच्चों के लिए **प्रवासन संबंधी स्वास्थ्य आवश्यकता (Migration Health Requirement)** को अधिक न्यायसंगत बनाने के लिए 12.1 मिलियन डॉलर की राशि प्रदान की जाएगी।

ये उपाय *विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (Convention on the Rights of Persons with Disabilities)* को लागू करने की सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता के अनुरूप हैं और विकलांग लोगों के अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए पहले से चल रहे कार्यों को आगे बढ़ाते हैं, जिनमें शामिल हैं:

* एनडीआईएस के बाहर विकलांग लोगों के लिए गुणवत्ता और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ***विकलांगता सेवा और समावेशन अधिनियम 2023 (Disability Services and Inclusion Act 2023)*** को अधिनियमित करना। यह अधिनियम विकलांग लोगों के साथ व्यापक परामर्श के माध्यम से विकसित किया गया था और मानवाधिकार सिद्धांतों को लागू करना चाहता है।
* एक नई **अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता निष्पक्षता और अधिकार कार्यनीति (International Disability Equity and Rights Strategy)** का विकास यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऑस्ट्रेलिया विकलांग व्यक्तियों के लिए निष्पक्षता और मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने में एक मजबूत और सुसंगत वैश्विक नेता बना रहे।
* **ऑस्ट्रेलिया के मानवाधिकार ढांचे में मानवाधिकार जांच पर संसदीय संयुक्त समिति (Parliamentary Joint Committee on Human Rights Inquiry into Australia’s Human Rights Framework)**: मार्च 2023 में, अटॉर्नी जनरल, माननीय मार्क ड्रेफस के.सी. एमपी ने ऑस्ट्रेलिया के मानवाधिकार ढांचे को मानवाधिकारों पर संसदीय संयुक्त समिति को संदर्भित किया। मानवाधिकारों पर संसदीय संयुक्त समिति ने 30 मई 2024 को अपनी [जांच रिपोर्ट](https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Joint/Human_Rights/HumanRightsFramework/Report) पेश की। रिपोर्ट में 17 सिफारिशें की गई हैं, जिनमें सरकार द्वारा ऑस्ट्रेलिया के मानवाधिकार ढांचे को पुनः स्थापित करने तथा उसमें महत्वपूर्ण सुधार करने, मानवाधिकार अधिनियम बनाने तथा ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग की भूमिका बढ़ाने की सिफारिशें शामिल हैं। सरकार विकलांगता अधिकार अधिनियम और राष्ट्रीय विकलांगता आयोग की स्थापना के लिए विकलांगता रॉयल आयोग की सिफारिशों के साथ-साथ इन सिफारिशों पर सावधानीपूर्वक विचार कर रही है।

**समावेशन और पहुंच**

समावेशी समाज के निर्माण के लिए, प्रणालियों और सेवाओं को सार्वभौमिक रूप से सुलभ होना होगा तथा सभी विकलांग व्यक्तियों के विविध अनुभवों, परिस्थितियों और आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी होना होगा। विकलांगता रॉयल कमीशन की प्रारंभिक प्रतिक्रिया के माध्यम से, ऑस्ट्रेलियाई सरकार सभी जीवन चरणों में विकलांगता वाले लोगों और उनके देखभालकर्ताओं के विविध और प्रतिच्छेदन अनुभवों को पहचानते हुए, समावेश और पहुंच का बेहतर समर्थन करने के लिए कई पहलों में निवेश कर रही है। इन पहलों में शामिल हैं:

* नेशनल एग्रीमेंट ऑन क्लोजिंग द गैप के तहत विकलांगता के क्रॉस-कटिंग परिणाम के लिए **प्रथम राष्ट्र विकलांगता फोरम** या अन्य उपयुक्त साझा निर्णय लेने वाले तंत्र को विकसित करने के लिए परामर्श पर प्रथम राष्ट्र के लोगों के साथ साझेदारी में राज्य और राज्य-क्षेत्र की सरकारों के साथ काम करना।
* 2024 में ***ऑस्ट्रेलिया की विकलांगता कार्यनीति 2021-2031*** की समीक्षा करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य और राज्य-क्षेत्र सरकारों, ऑस्ट्रेलियाई स्थानीय सरकारी संघ, ऑस्ट्रेलिया की विकलांगता रणनीति सलाहकार परिषद और विकलांग लोगों, उनके परिवारों और प्रतिनिधि संगठनों के साथ काम करके विकलांगता रॉयल कमीशन के जवाब में राष्ट्रीय परिवर्तन देने में इसे एक प्रमुख चालक के रूप में मजबूत किया गया है।
* **विकलांगता वाले लोगों के लिए सुलभ सूचना और संचार के लिए एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण** के लिए $12.3 मिलियन, जिसमें *ऑस्ट्रेलिया की विकलांगता रणनीति 2021-2031* के तहत एक संबद्ध योजना का विकास शामिल है, जो नीति डिजाइन और सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों और सेवाओं के कार्यान्वयन और समुदाय के साथ रोजमर्रा की बातचीत में पहुंच को लागू करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की सार्वजनिक सेवा एजेंसियों में क्षमता का निर्माण करता है।
* **बौद्धिक विकलांगता वाले लोगों के लिए प्राथमिक देखभाल संवर्द्धन कार्यक्रम** को जारी रखने के लिए 3.7 मिलियन डॉलर, ताकि बौद्धिक विकलांगता वाले लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सहायता मिल सके।
* **प्रमुख व्यावसायिक कार्यबलों की विकलांगता के प्रति संवेदनशीलता और क्षमता को बढ़ाने तथा** विकलांगता के प्रति समुदाय के दृष्टिकोण और समझ में सुधार लाने **के लिए जमीनी स्तर पर किए जा रहे प्रयासों को** समर्थन देने के लिए19.6 मिलियन डॉलर।
* विकलांग व्यक्तियों के साथ साझेदारी में राज्य और राज्य-क्षेत्रीय सरकारों के साथ काम करना, ताकि शिक्षकों, स्कूलों और स्कूल प्रणालियों को विकलांग स्कूली छात्रों के लिए परिणामों में सुधार लाने के लिए अधिक समावेशी शिक्षा प्रदान करने में मदद मिल सके।

यह व्यापक मौजूदा प्रतिबद्धताओं का पूरक है और एक समावेशी और सुलभ समाज का समर्थन करने के लिए काम करता है जो शारीरिक, न्यूरोलॉजिकल, न्यूरोडेवलपमेंटल, मनोसामाजिक, संवेदी, बौद्धिक और संज्ञानात्मक विकलांगता वाले लोगों सहित विकलांगता वाले सभी लोगों का सहयोग करता है। हमारा मौजूदा काम विकलांगता रॉयल कमीशन की सिफारिशों से परे है, जिनमें शामिल हैं:

* शीघ्र जारी होने वाले **एविएशन व्हाइट पेपर** के माध्यम से सरकार विकलांग व्यक्तियों के हवाई यात्रा कर पाने के अधिकारों की पुष्टि करने, यात्रा प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा जहां मानकों की पूर्ति नहीं हो पाती है, वहां समुचित उपाय उपलब्ध कराने के लिए अनेक कार्य करेगी।
* **द नेशनल एग्रीमेंट ऑन क्लोजिंग द गैप (राष्ट्रीय समझौता) और** ***ऑस्ट्रेलिया की विकलांगता रणनीति 2021-2031*** व्यापक नीतिगत ढांचे प्रदान करते हैं जो विकलांगता वाले प्रथम राष्ट्र के लोगों के लिए सरकार के सभी स्तरों पर परिवर्तनकारी परिवर्तन की अपेक्षाओं को रेखांकित करते हैं। विकलांगता को राष्ट्रीय समझौते के तहत क्रॉस-कटिंग परिणाम के रूप में मान्यता दी गई है। दोनों ढांचे एक क्षमता-आधारित दृष्टिकोण को लागू करना चाहते हैं। **विकलांगता क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना (डीएसएसपी) [Disability Sector Strengthening Plan] और नेशनल डिसेबिलिटी फुटप्रिंट** , जिसे क्लोजिंग द गैप पर संयुक्त परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है, समुदाय-नियंत्रित विकलांगता क्षेत्र के निर्माण के लिए राष्ट्रीय समझौते के तहत प्राथमिकता सुधार दो के कार्यान्वयन का समर्थन करते हैं।
* **एनडीआईएस समीक्षा** के जवाब में जनवरी 2024 में अतिरिक्त निवेश की घोषणा की गई, ताकि एनडीआईएस के भीतर और बाहर दोनों जगह सहायता तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके, जिसमें शामिल हैं:
  + **आधारभूत समर्थन रणनीति (Foundational Supports Strategy)** विकसित करने तथा राज्यों, राज्य-क्षेत्रों और समुदाय के साथ अतिरिक्त आधारभूत समर्थन तैयार करने के लिए 11.6 मिलियन डॉलर का प्रावधान किया गया है।
  + **एनडीआईएस समीक्षा की प्रमुख सिफारिशों पर डिजाइन और परामर्श** के लिए 118.1 मिलियन डॉलर, जिसमें एनडीआईएस बजट पाने के अधिक न्यायसंगत और बेहतर तरीके, एनडीआईएस के बेहतर घर और रहने के विकल्प, सहायता पाने और भुगतान करने के बेहतर तरीके, तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था सहायता के लिए सर्वोत्तम तरीके शामिल हैं।
* **प्रारंभिक वर्षों की कार्यनीति** जारी करना, जो ऑस्ट्रेलिया के बच्चों और उनके परिवारों को सर्वोत्तम सहायता प्रदान करने के लिए सरकार के दृष्टिकोण को निर्धारित करती है। इसमें सभी प्रकार की विविधता, जैसे विकलांगता, को महत्व देना तथा यह सुनिश्चित करना शामिल है कि सहायता एवं सेवाएं न्यायसंगत, समावेशी और सुलभ हों। कार्यनीति में माता-पिता, देखभालकर्ताओं और परिवारों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें प्रारंभिक विकास में होने वाली देरी के संकेतों का पता लगाने और उन पर कार्रवाई करने के लिए आवश्यक होने पर प्रारंभिक बाल सहायता को शीघ्र पाने हेतु समर्थ और प्रोत्साहित करना शामिल है।
* **राष्ट्रीय ऑटिज़्म कार्यनीति** का विकास जो ऑस्ट्रेलिया में सभी ऑटिस्टिक लोगों के जीवन परिणामों में सुधार करेगी। यह पहली बार ऑटिस्टिक आस्ट्रेलियाई लोगों और उनके परिवारों के लिए सेवाओं और सहायता हेतु एक समन्वित राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रदान करेगी।
* **शिक्षा** के क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलियाई सरकार 2024 में स्कूलिंग रिसोर्स स्टैंडर्ड के माध्यम से **विकलांगता वाले छात्रों** के लिए उचित समायोजन लागू करने हेतु स्कूलों को सहायता देने के लिए अनुमानित **3.7 बिलियन** डॉलर प्रदान कर रही है। शिक्षा विभाग राष्ट्रीय प्रणाली सुधारों के बारे में जानकारी देने के लिए भी काम शुरू करेगा, ताकि अधिक सुलभ और समावेशी स्कूली शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके और विकलांग छात्रों के लिए परिणामों में सुधार लाया जा सके। इसके पूरक के रूप में, सरकार छात्रों, अभिभावकों और देखभालकर्ताओं को उनके अधिकारों को समझने में सहायता करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराती है; तथा स्कूल स्टाफ को उनके दायित्वों को समझने में सहायता करती है। सरकार **सकारात्मक भागीदारी कार्यक्रम** के माध्यम से ऑटिज्म के संबंध में कौशल और समझ विकसित करने के लिए स्कूल स्टाफ के व्यावसायिक विकास को भी सहयोग देती है; तथा विकलांग छात्रों की सहायता करने के लिए विश्वविद्यालयों की सहायता हेतु **उच्च शिक्षा विकलांगता सहायता कार्यक्रम** के माध्यम से वित्त पोषण भी प्रदान करती है।
* लगभग 2.65 मिलियन आस्ट्रेलियाई लोग विकलांगता, स्वास्थ्य स्थिति, मानसिक बीमारी से ग्रस्त किसी ऑस्ट्रेलियावासी की या वृद्ध आस्ट्रेलियाई लोगों की देखभाल करते हैं। अक्टूबर 2023 में, सरकार ने देखभालकर्ताओं को बेहतर सहयोग देने के लिए एक **राष्ट्रीय देखभालकर्ता कार्यनीति** विकसित करने की घोषणा की। 2024-25 के बजट में, सरकार ने देखभालकर्ता भुगतान प्राप्तकर्ताओं के लिए अपने काम, अध्ययन और देखभाल की जिम्मेदारियों के प्रबंधन के लिए अधिक अनुकूलनशीलता लाने हेतु 5 वर्षों में 18.6 मिलियन डॉलर की घोषणा की।

**रोज़गार**

आस्ट्रेलियाई सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कामकाजी आयु के विकलांग आस्ट्रेलियाई लोगों को सुरक्षित और समावेशी कार्य तक पहुंच का अवसर मिले। इसे प्राप्त करने के लिए विकलांगता रोजगार पारिस्थितिकी तंत्र में स्थायी सुधार की आवश्यकता है ताकि कार्यबल की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके, कार्यस्थल में भेदभाव को समाप्त किया जा सके और एक गतिशील और समावेशी श्रम बाजार को बढ़ावा दिया जा सके।

अगले 4 वर्षों में, सरकार ने अधिकाधिक विकलांग लोगों को उपयुक्त रोजगार के लिए तैयार होने और उसे खोजने में सहायता देने के लिए **5.5 बिलियन डॉलर** से अधिक धनराशि देने का संकल्प लिया है। इसमें 2024-25 के बजट में घोषित अतिरिक्त निवेश शामिल है, जिसमें शामिल हैं:

* 1 जुलाई 2025 से शुरू होने वाले **एक नए विशेषज्ञ विकलांगता रोजगार कार्यक्रम** को लागू करने के लिए 227.6 मिलियन डॉलर का अतिरिक्त वित्तपोषण। नया कार्यक्रम वर्तमान विकलांगता रोजगार सेवा कार्यक्रम का स्थान लेगा और विकलांगता, चोट या बीमारी से ग्रस्त लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली, व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करके स्थायी रोजगार खोजने और उसे बनाए रखने में मदद करेगा।
* 23.3 मिलियन डॉलर की राशि से एक **उत्कृष्ट विकलांगता रोजगार केंद्र** की स्थापना की जाएगी, ताकि सर्वोत्तम कार्यशैली, साक्ष्य-आधारित जानकारी विकसित की जा सके, जिससे प्रदाताओं को उच्च गुणवत्ता वाली प्रभावी रोजगार सेवाएं प्रदान करने में सहायता मिल सके तथा विकलांगता रोजगार परिणामों में सुधार के लिए सहायता मिल सके।

यह विकलांगता वाले लोगों के लिए रोजगार के परिणामों में सुधार के लिए मौजूदा कार्यों पर आधारित है:

* **रोजगार व्हाइट पेपर** जारी करना, जिसके बाद सितंबर 2022 में पूर्ण रोजगार, उत्पादकता वृद्धि और समान अवसर प्राप्त करने के रास्ते तलाशने के लिए **नौकरियां और कौशल शिखर सम्मेलन** आयोजित किया गया। व्हाइट पेपर में गतिशील और समावेशी श्रम बाजार के लिए सरकार के दृष्टिकोण का उल्लेख किया गया है।
* जॉब्स एंड स्किल्स समिट के बाद, बिजनेस काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलियन नेटवर्क ऑन डिसएबिलिटी ने 18 महीने के **करियर पाथवे पायलट** प्रदान करने के लिए कॉमनवेल्थ और चार बड़े नियोक्ताओं के साथ भागीदारी की। पायलट का उद्देश्य प्रबंधन के सभी स्तरों पर इस बात की समझ बढ़ाना था कि विकलांगता वाले कर्मचारियों को करियर में उन्नति के लिए किन बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, तथा उन बाधाओं को कम करने के लिए कार्यनीति प्रदान की गईं। कॉमनवेल्थ फंडिंग में पायलट के लिए कुल $3.3 मिलियन राशि आवंटित की गई।
* जॉब्स एंड स्किल्स समिट का एक अन्य परिणाम कॉमनवेल्थ द्वारा 12 महीने के **टूरिज्म लोकल नेविगेटर पायलट** को डिलीवर करने के लिए कॉमनवेल्थ फंडिंग में $3.3 मिलियन का आवंटन करना था। पायलट ने विकलांग व्यक्तियों को सार्थक पर्यटन नौकरियों से जोड़ने के लिए नए तरीकों का परीक्षण किया, इसके लिए चयनित संगठनों को स्थानीय नेविगेटर उपलब्ध कराने में सहायता की, जो विकलांग लोगों के साथ-साथ छोटे और मध्यम पर्यटन व्यवसायों और रोजगार सेवा प्रदाताओं के बीच एक कनेक्टर के रूप में कार्य करते हैं। स्थानीय नेविगेटर्स ने विकलांग लोगों को रोजगार देने के लिए नियोक्ताओं के आत्मविश्वास के निर्माण के साथ-साथ कार्यस्थल संस्कृतियों और रोजगार प्रथाओं में सुधार करने में मदद की।
* अक्टूबर 2023 में, सरकार ने देखभालकर्ताओं को कार्यबल में भाग लेने के लिए बेहतर सहयोग सुनिश्चित करने हेतु **देखभालकर्ता समावेशी कार्यस्थल पहल** भी शुरू की।
* **समर्थित रोजगार क्षेत्र को विकसित करने के लिए** 2023-24 के बजट में अतिरिक्त $57 मिलियन की प्रतिबद्धता जताई गई। समर्थित रोजगार सेवाएं विकलांग व्यक्तियों को सवेतन रोजगार उपलब्ध कराने में सहायता करती हैं। वे लगभग 16,000 विकलांग लोगों को रोजगार के माध्यम से अपने स्थानीय समुदाय में योगदान देने और जुड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतिरिक्त वित्तपोषण से इस क्षेत्र की क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे अधिक सहायता की आवश्यकता वाले विकलांग लोगों को समुचित रूप से लक्षित सहायता के साथ रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध कराए जा सकेंगे। यह काम पर अधिकारों और विकल्पों के बारे में आत्मविश्वास और समझ बनाने के लिए विकलांग लोगों और उनके परिवारों के लिए पक्षसमर्थन सहायता और जानकारी तक पहुंच भी प्रदान करेगा।
* एनडीआईएस रोजगार सहायता की दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए 20 मार्च 2024 को एक नवीनीकृत एनडीआईए **प्रतिभागी रोजगार कार्यनीति 2024-26** जारी की गई।
* 2024 की दूसरी छमाही में एक नया **दूरस्थ रोजगार और आर्थिक विकास कार्यक्रम** शुरू करने के लिए 707 मिलियन डॉलर, जो दूरदराज के समुदायों में लोगों को वास्तविक नौकरियां, उचित वेतन और सभ्य परिस्थितियां प्रदान करेगा। यह कार्यक्रम प्रथम राष्ट्र के लोगों के साथ साझेदारी में विकसित किया जा रहा है और इसके तहत तीन वर्षों में 3,000 नौकरियों का वित्तपोषण किया जाएगा। यह दूरदराज के समुदायों को अपने क्षेत्रों में आर्थिक अवसरों को बढ़ाने के लिए स्थानीय परियोजनाओं और नौकरी की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने में सहायता करेगा। यह कार्यक्रम दूरदराज के क्षेत्रों में देखभाल और सहायता अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देकर विकलांग लोगों को सहायता प्रदान करेगा।
* नवंबर 2022 में, सरकार ने **विकलांगता नेतृत्व कार्यक्रम** के माध्यम से पूरे ऑस्ट्रेलिया में विकलांगता लीडर्स को विकसित करने के लिए 2 मिलियन डॉलर का निवेश किया। यह पायलट परियोजना ऑस्ट्रेलियाई कंपनी निदेशक संस्थान के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के लिए शुरू की गई थी, ताकि वे बोर्ड में पदों पर आसीन होने के लिए अपने नेतृत्व और वरिष्ठ कार्यकारी कौशल को बढ़ा सकें। दो वर्ष के पायलट कार्यक्रम के दौरान, 208 विकलांग व्यक्तियों ने कार्यक्रम में नामांकन कराया, जिनमें से 87% ने बताया कि वे पाठ्यक्रम के लिए अपने लक्ष्य या आकांक्षाएं पूरी कर पाए।
* 2022 में, सरकार ने कर्मचारियों को काम में अनुकूलनशीलता का अनुरोध करने के लिए अधिक गुंजाइश प्रदान करने के लिए ***फेयर वर्क एक्ट 2009*** में संशोधन किया और अनुकूलनीय कार्य व्यवस्था का अनुरोध करने के अधिकार को एक प्रवर्तनीय अधिकार बना दिया। इस परिवर्तन से विकलांग श्रमिकों सहित सभी पात्र श्रमिकों को लाभ मिलेगा।

ऑस्ट्रेलियाई लोक सेवा आयोग, **ऑस्ट्रेलियाई लोक सेवा में विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार परिणामों में सुधार** लाने के लिए पहल का विकास और कार्यान्वयन जारी रखे हुए है। ऑस्ट्रेलियाई लोक सेवा आयोग, ऑस्ट्रेलियाई लोक सेवा में प्रासंगिक विकलांगता रॉयल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए एक खोज परियोजना शुरू कर रहा है।

## सिफारिशों के जवाब में पोज़ीशन (पद)

इस खंड में ऑस्ट्रेलियाई सरकार की प्राथमिक या साझा जिम्मेदारी के अंतर्गत 172 सिफारिशों के जवाब में उसकी स्थितियां शामिल हैं। इसमें राज्य और राज्य-क्षेत्र सरकारों की एकमात्र जिम्मेदारी के भीतर 50 सिफारिशों के जवाब शामिल नहीं हैं।

सिफारिश तक पहुंचने के लिए विस्तृत प्रतिक्रियाएं डिसेबिलिटी रॉयल आयोग को ऑस्ट्रेलियाई सरकार की पूरी प्रतिक्रिया में पाई जा सकती हैं, जो [www.dss.gov.au/DRC-Aus-Gov-Response](http://www.dss.gov.au/DRC-Aus-Gov-Response) पर उपलब्ध है।

|  |  |
| --- | --- |
| जवाब की भाषा और परिभाषाएं | |
| प्रतिक्रिया की स्थिति | **परिभाषा** |
| स्वीकार करना | सिफारिश को पूर्ण रूप से स्वीकार/समर्थन करना। |
| सिद्धांत रूप में स्वीकार करना | व्यापक नीति के इरादे को स्वीकार / समर्थन करना लेकिन कार्यान्वयन के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार कर सकते हैं। |
| नोट | उन सिफारिशों के लिए उपयोग किया जाता है जिनमें स्वीकृति या अस्वीकृति को दर्शाना उचित नहीं होगा, जो इस कारण हो सकता है कि सिफारिश ऑस्ट्रेलियाई सरकार की नीतिगत जिम्मेदारी या अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है। |
| आगे विचार के अधीन | इंगित करता है कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार अभी भी सिफारिश पर विचार कर रही है। ऐसा संबंधित पूछताछ के परिणाम की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता के कारण हो सकता है, या प्रतिक्रिया देने के लिए आगे परामर्श और सहभागिता की आवश्यकता के कारण हो सकता है। |

कृपया ध्यान दें कि रॉयल कमीशन की अंतिम रिपोर्ट में पहली सिफारिश सिफारिश 4.1 है। तदनुसार, सिफारिश 4.1 से प्रतिक्रियाएं शुरू होती हैं।

|  |  |
| --- | --- |
| खंड 4: विकलांग लोगों के मानवाधिकारों का एहसास | |
| अनुशंसा शीर्षक | **ऑस्ट्रेलियाई सरकार की प्रतिक्रिया** |
| 4.1 - 4.22: विकलांगता अधिकार अधिनियम की स्थापना | आगे विचार के अधीन |
| 4.23 - 4.34: विकलांगता भेदभाव अधिनियम में सुधार | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |

| खंड 5: समावेशन के लिए शासन | |
| --- | --- |
| अनुशंसा शीर्षक | ऑस्ट्रेलियाई सरकार की प्रतिक्रिया |
| 5.1: एक राष्ट्रीय विकलांगता समझौता विकसित करना | आगे विचार के अधीन |
| 5.2: ऑस्ट्रेलिया की विकलांगता कार्यनीति की समीक्षा करना और इसे अपडेट करना | स्वीकार करना |
| 5.4: राष्ट्रीय समझौतों, कार्यनीति और योजनाओं की समीक्षा करना | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 5.5: राष्ट्रीय विकलांगता आयोग की स्थापना | आगे विचार के अधीन |
| 5.6: विकलांगता के लिए नई शासन व्यवस्था | नोट |
| 5.7: *सीआरपीडी* को लागू करने के लिए क्षेत्राधिकारों में केंद्र बिंदु | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |

| खंड 6: स्वायत्तता और पहुंच को सक्षम करना | |
| --- | --- |
| अनुशंसा शीर्षक | ऑस्ट्रेलियाई सरकार की प्रतिक्रिया |
| 6.1: राष्ट्रीय सुलभ संचार योजना | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 6.2: ऑस्लान दुभाषियों की संख्या बढ़ाना | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 6.3: कुशल और योग्य दुभाषियों तक पहुंच | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 6.6: समर्थित निर्णय लेने के सिद्धांत | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 6.19: समर्थन और प्रतिनिधित्व व्यवस्था पर डेटा संग्रह | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 6.20: व्याख्यात्मक घोषणा | आगे विचार के अधीन |
| 6.21 - 6.23: पक्षसमर्थन | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 6.24 - 6.25: संज्ञानात्मक विकलांगता के संबंध में स्वास्थ्य प्रणाली की क्षमता | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 6.26: स्वास्थ्य कार्यबल क्षमता विकास की निगरानी के लिए स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की भूमिका का विस्तार करना | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 6.27: मान्यता अधिकारियों द्वारा नियमित प्रगति रिपोर्टिंग स्थापित करना | 6.27 (क) और (ख): सिद्धांत रूप में स्वीकार करते हैं  6.27 (c): स्वीकार करना |
| 6.28: विकलांगता स्वास्थ्य सेवाओं में नैदानिक प्लेसमेंट तक पहुंच में सुधार | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 6.29: संज्ञानात्मक विकलांगता स्वास्थ्य देखभाल में विशेषज्ञ प्रशिक्षण और निरंतर व्यावसायिक विकास में सुधार | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 6.30: बौद्धिक विकलांगता स्वास्थ्य में उत्कृष्टता के राष्ट्रीय केंद्र के दायरे का विस्तार | नोट |
| 6.31: स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच के अधिकार को प्रमुख नीतिगत साधनों में शामिल करना | 6.31a - स्वीकार करना  6.31b - सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 6.32: बेहतर मार्गदर्शन, वित्त पोषण और सुलभ सूचना के माध्यम से समर्थन और अनुकूलन प्रदान करने की क्षमता में वृद्धि करना | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 6.34: विकलांग लोगों के लिए स्वास्थ्य देखभाल के संचालन में सहायता के लिए विकलांगता स्वास्थ्य नेविगेटर की शुरुआत करना | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 6.37: साइकोट्रोपिक दवा पर डेटा संग्रह और सार्वजनिक रिपोर्टिंग | स्वीकार करना |
| 6.38: प्रतिबंधात्मक प्रथाओं को कम करने और समाप्त करने पर साक्ष्य आधार को मजबूत करना | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 6.39 - 6.40: प्रतिबंधात्मक व्यवहार | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 6.41: गैर-चिकित्सीय नसबंदी का विधायी निषेध | आगे विचार के अधीन |

| खंड 7: समावेशी शिक्षा, रोजगार और आवास | |
| --- | --- |
| अनुशंसा शीर्षक | ऑस्ट्रेलियाई सरकार की प्रतिक्रिया |
| 7.2, 7.3, 7.6, 7.13: समावेशी शिक्षा | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 7.8, 7:10: शिक्षा कार्यबल क्षमता और शिकायत प्रबंधन | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 7.9, 7.12: शिक्षा डेटा, साक्ष्य और वित्त पोषण | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 7.14 – 7.15: गैर-मुख्यधारा या अलग-अलग शिक्षा से चरणबद्ध तरीके से बाहर निकलना | नोट |
| 7.16: नए विकलांगता रोजगार सेवा मॉडल में शामिल करने के लिए प्राथमिकताएं | स्वीकार करना |
| 7.17: विकलांगता रोजगार सेवा कर्मचारियों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण संसाधनों का विकास करना | स्वीकार करना |
| 7.18 – 7.23: सार्वजनिक क्षेत्र में विकलांगता रोजगार | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 7.24: विकलांग रोजगार अधिकार परिषद का आयोजन करना | नोट |
| 7.25: *फेयर वर्क एक्ट 2009* (Cth) में संशोधन करना | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 7.26 विकलांगता *भेदभाव अधिनियम 1992 में संशोधन* (Cth) | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 7.27 निष्पक्ष कार्य ओम्बड्समैन रेफरल तंत्र को सक्षम करना | स्वीकार करना |
| 7.28 मजदूरी और विकलांगता सहायता पेंशन के बारे में जानकारी में सुधार | स्वीकार करना |
| 7.29 एनडीआईएस प्रतिभागी रोजगार रणनीति में 'खुला रोजगार पहले' दृष्टिकोण एम्बेड करना | स्वीकार करना |
| 7.30 समावेशी रोजगार के लिए परिवर्तनकाल का सहयोग करना | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 7.31 उप-न्यूनतम मजदूरी बढ़ाना | आगे विचार के अधीन |
| 7.32 2034 तक अलग-अलग रोजगार समाप्त करना | आगे विचार के अधीन |
| 7.33 प्रमुख राष्ट्रीय आवास और बेघर दृष्टिकोणों में विकलांग लोगों को प्राथमिकता देना | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 7.34 ऑस्ट्रेलिया की विकलांगता रणनीति में आवासहीनता को शामिल करना | स्वीकार करना |
| 7.39 विकलांग व्यक्तियों को सेवा या संस्थागत व्यवस्था से स्थानांतरित करते समय बेघर होने से बचाना | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 7.40 राष्ट्रीय आवास एवं आवासहीनता योजना में विकलांग लोगों के लिए बेघरपन की समस्या का समाधान करना | आगे विचार के अधीन |
| 7.41 समूह गृह सुधार | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 7.42 वैकल्पिक आवास विकल्पों तक पहुंच में सुधार | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 7.43 - 7.44: समूह घरों में सुधार | आगे विचार के अधीन |

| खंड 8: आपराधिक न्याय और विकलांग लोग | |
| --- | --- |
| अनुशंसा शीर्षक | ऑस्ट्रेलियाई सरकार की प्रतिक्रिया |
| 8.2: OPCAT निगरानी में विकलांगता जागरूकता | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 8.11: अदालतों और कानूनी चिकित्सकों के लिए जानकारी | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 8.12: राष्ट्रीय सिद्धांतों का कार्यान्वयन | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 8.13: फोरेंसिक सिस्टम में हिरासत में लिए गए लोगों के बारे में डेटा | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 8.17: एनडीआईएस लागू सिद्धांत और न्याय प्रणाली से संबंधित समर्थन की तालिकाएं | आगे विचार के अधीन |
| 8.18: एनडीआईए-वित्त पोषित परिवर्तनकाल समर्थन का समय | स्वीकार करना |
| 8.19: 'सेवाओं' के पुलिस प्रावधान को कवर करने के लिए *विकलांगता भेदभाव अधिनियम 1992* (सीटीएच) में संशोधन | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 8.20: विकलांग लोगों के प्रति पुलिस की प्रतिक्रियाओं में सुधार करना | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 8.23: विकलांग महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए कार्य योजना | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 8.24: विकलांगता- परिवार और घरेलू हिंसा की समावेशी परिभाषा | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |

| खंड 9: प्रथम राष्ट्र के विकलांगता ग्रस्त लोग | |
| --- | --- |
| अनुशंसा शीर्षक | ऑस्ट्रेलियाई सरकार की प्रतिक्रिया |
| 9.4: सामुदायिक कनेक्टर कार्यक्रमों का विस्तार करना | स्वीकार करना |
| 9.5: समुदाय-नियंत्रित क्षेत्र को ब्लॉक फंडिंग | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 9.6: राष्ट्रीय विकलांगता बीमा एजेंसी बोर्ड | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 9.7: सांस्कृतिक जीवन में भागीदारी | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 9.8 - 9.9: एनडीआईएस देश और परिवार में वापसी के लिए नीतियों और वित्तपोषण का समर्थन करता है | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 9.10: प्रथम राष्ट्र विकलांगता मंच | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 9.11: विकलांगता क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना पर निर्माण | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 9.12: विकलांगता-समावेशी सांस्कृतिक सुरक्षा मानक | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 9.13: दूरस्थ कार्यबल विकास | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |

| खंड 10: विकलांगता सेवाएं | |
| --- | --- |
| अनुशंसा शीर्षक | ऑस्ट्रेलियाई सरकार की प्रतिक्रिया |
| 10.1: मानव अधिकारों को लागू करना | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 10.2: स्वतंत्र समर्थन समन्वय | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 10.3: पर्याप्त समर्थन समन्वय | स्वीकार करना |
| 10.4: समर्थन समन्वय की गुणवत्ता | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 10.5: पक्षसमर्थन | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 10.6 - 10.7: विकलांगता सेवाओं में निर्णय लेने में सहायता | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 10.8: एक राष्ट्रीय विकलांगता सहायता कार्यकर्ता पंजीकरण योजना | आगे विचार के अधीन |
| 10.9: सामाजिक, सामुदायिक, गृह देखभाल और विकलांगता सेवा उद्योग पुरस्कार | नोट |
| 10.10: अंतिम उपाय के प्रदाता | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 10.11: रिपोर्ट करने योग्य घटनाओं की निगरानी के लिए आंतरिक प्रक्रियाएं। | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 10.12: वर्ग या प्रकार के निर्धारण का परिचय | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 10.13: एक स्वतंत्र अन्वेषक पैनल बनाना | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 10.14: मॉडल नीतियों और प्रक्रियाओं का विकास करना | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 10.15: शिकायत से निपटने और खोजी अभ्यास दिशानिर्देश | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 10.16: निवारण पर विचार करने की आवश्यकता | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 10.17: सुरक्षा संकेतकों और विशेषज्ञता तक पहुंच | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 10.18: बेहतर शिकायत निपटान प्रक्रियाएं और प्रतिक्रियाएं | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 10.19: कुछ शिकायतों की जांच करने की आवश्यकता | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 10.20: शिकायत प्रक्रियाओं को सुलभ बनाना | स्वीकार करना |
| 10.21: पंजीकरण और लेखा परीक्षा प्रक्रिया | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 10.22: मजबूत नियामक आवश्यकताएं | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 10.23: अपंजीकृत प्रदाता बाजार के बारे में डेटा प्रकाशित करना | स्वीकार करना |
| 10.24: व्यवहार समर्थन चिकित्सकों तक बेहतर पहुंच | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 10.25: मजबूत निगरानी, अनुपालन और प्रवर्तन | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 10.26: विस्तारित डेटा रिपोर्टिंग और प्रकाशन | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 10.27: मजबूत खुफिया क्षमता | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 10.28: निर्धारित निकायों के बीच सूचना साझा करना | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 10.29: प्रथम राष्ट्र इकाई की स्थापना | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 10.30: संलग्नता और क्षमता निर्माण गतिविधियाँ | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 10.31 – 10.33: कार्यकर्ता स्क्रीनिंग | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |

| खंड 11: निष्पक्ष निरीक्षण और शिकायत तंत्र | |
| --- | --- |
| अनुशंसा शीर्षक | ऑस्ट्रेलियाई सरकार की प्रतिक्रिया |
| 11.1 -11.2: वयस्क सुरक्षा | आगे विचार के अधीन |
| 11.4: सुलभ शिकायत मार्ग बनाना | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 11.5: शिकायत निपटान और जांच अभ्यास दिशानिर्देश | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 11.6: विधान में ओपीसीएटी के प्रमुख प्रावधानों को शामिल करना | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 11.7: हिरासत स्थलों के संसाधन और व्यापक परिभाषा | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 11.10: बेहतर स्थिरता और समन्वय | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 11.11: OPCAT को लागू करने के लिए विकलांगता समावेशी दृष्टिकोण | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 11.12 – 11.13: सामुदायिक आगंतुक योजनाएं | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 11.16: विकलांगता मृत्यु समीक्षा पर राष्ट्रीय समझौता | आगे विचार के अधीन |
| 11.18: रिपोर्ट करने योग्य आचरण और घटनाओं की दोहरी निगरानी | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |

| खंड 12: रॉयल कमीशन से परे | |
| --- | --- |
| अनुशंसा शीर्षक | ऑस्ट्रेलियाई सरकार की प्रतिक्रिया |
| 12.1: अंतिम रिपोर्ट पर सरकार की प्रतिक्रियाएं | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 12.2: अंतिम रिपोर्ट सिफारिशों का कार्यान्वयन | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 12.3: सिफारिशों के कार्यान्वयन पर प्रगति रिपोर्टिंग | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 12.4: परिणामों में सुधार में प्रभावशीलता का मूल्यांकन | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 12.5: डेटा संग्रह के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर सुसंगत दृष्टिकोण | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 12.6: मुख्यधारा की सेवाओं के लिए डेटा संग्रह में विकलांगता ध्वजांकित | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 12.7: विकलांगता डेटा संग्रह में सुधार | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |
| 12.8: राष्ट्रीय विकलांगता डेटा एसेट के लिए दीर्घकालिक सहयोग | सिद्धांत रूप में स्वीकार करना |